

क्रमांक/शिक्षा-2/ज्ञानोदय/2021-22/न.क्र.166/746 भोपाल, दिनांक 3/6/2021
प्रति,

सहायक आयुक्त,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय:-विभागीय आवासीय विद्यालयों में CBSE पाठ्यक्रम लागू करने हेतु संबद्धता प्रदान करने के संबंध में।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

--00--

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर 10 ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय संचालित हैं। प्रत्येक विद्यालय 640 सीटर है, जिसमें कक्षा 6 वीं से 12वीं तक के बालक एवं बालिकाएं एक साथ अध्ययन करते हैं। वर्तमान में विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल का पाठ्यक्रम लागू है। 10 संभागीय मुख्यालयों पर संचालित ज्ञानोदय विद्यालय निम्नानुसार हैं:-

1. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, भोपाल।
2. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, इन्दौर।
3. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, ग्वालियर।
4. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, जबलपुर।
5. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, उज्जैन।
6. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, सागर।
7. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, रीवा।
8. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, होशंगाबाद।
9. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, शहडोल।
10. शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, मुरैना।

इन विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से CBSE पाठ्यक्रम लागू किया जाना है, इस हेतु मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। CBSE के Affiliation Bye-Laws के आधार पर वर्तमान में विद्यालयों में CBSE के मापदण्डानुसार जो कमियाँ हैं, उन्हें दूर किये जाने हेतु अधोसंरचना विकास की कार्यवाही की जा रही है। कृपया विभागीय आवासीय विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल के स्थान पर CBSE पाठ्यक्रम लागू करने एवं संबद्धता प्रदान करने हेतु कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास द्वारा अनापत्ति प्रदान की जाती है।

(संजीव सिंह) 1.6.21

आयुक्त

अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शिक्षा-2/ज्ञानोदय/2021-22/न.क्र.166/ 747 भोपाल, दिनांक 31/12/2021
प्रतिलिपि:-समस्त प्राचार्य शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ
प्रेषित

(संजीव सिंह)
आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश